

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशांक-वा0क0अधि0/पू0पी0/ /21, लखनऊ:दिनांक: 22, जनवरी-2021,

-आदेश-

मुख्यालय के आदेशांक-179/2021 दिनांक 21.01.2021 द्वारा दिनांक 01.02.2021 को मुख्यालय पर पूर्ण पीठ का गठन किया गया था। उक्त आदेश को निरस्त करते हुए उत्तर प्रदेश, वैट नियमावली-2008 के नियम 64(3) में निहित शक्तियों के अधीन दिनांक 05.02.2021 को पूर्ण पीठ से सम्बन्धित वादों के निस्तारण हेतु मुख्यालय पर पूर्ण पीठ गठित की जाती है।

गठित पूर्ण पीठ में मेरे साथ श्री विनय सिंह, न्यायिक सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-1, लखनऊ एवं श्री अजीत कुमार शुक्ला, सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-3, लखनऊ सम्मिलित होंगे।

तदनुसार अवगत होने का कष्ट करें।

ह0/22.01.2021

(महताब अहमद)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन:- वा0क0अधि0/पू0पी0/182/2021, तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-1, व पीठ-3, लखनऊ।
2. मुन्सरिम/वरिष्ठ सहायक/विवरण/कम्प्यूटर/मुख्यालय।

माननीय अध्यक्ष, महोदय की आज्ञा से,

निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।